

C/PHCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

(छराविमंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

CIN No. - U65993CT2008SGC020995

कार्यालय - महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर



क्रमांक : 01-04/पीडी-तीन/ 1537

/रायपुर, दिनांक 25 JUN 2018

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत अंबिकापुर क्षेत्र के लिए परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर संविदा आधार पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 27.06.2018, समय 17:00 बजे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

- (1) पदों का विवरण - परिचारक लाईन (संविदा) के सीधी भर्ती के प्रवर्गवार पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
79	09	88	11	187

- (2) मूल निवासी - छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिलो का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।

- (3) परिचारक लाईन (संविदा) के पद का दायित्व - परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर नियुक्त कर्मियों को परिचारक श्रेणी-एक/दो (लाईन) एवं लाईन सहायक श्रेणी-एक/दो को आबंटित कार्यों में सहायता के साथ साथ विद्युत वितरण प्रणाली के निर्माण एवं रखरखाव से जुड़े ऐसे सभी मैदानी कार्य करने होंगे जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख रूप से गड्ढा खोदना वितरण कंपनी के उपकरणों का परिवहन एवं उपरोक्त से जुड़े सभी मैदानी कार्य सम्मिलित होंगे।
कार्य की प्रकृति को देखते हुए महिला अभ्यर्थी तथा दिव्यांगजन उक्त पद हेतु अपात्र हैं।

- (4) आयु सीमा - उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना दिनांक 01.06.2018 को आधार मानकर की जावेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्षों की छूट प्रदान की जावेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जायेगी, परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (5) शैक्षणिक योग्यता - छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल/छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (ICSE) अथवा अन्य समकक्ष मंडल/बोर्ड से कक्षा दसवीं (10वीं) उत्तीर्ण।

- (6) आरक्षण – छ.ग. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जावेगा। आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ, तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक का चयन/नियुक्ति आरक्षित कोटे के तहत होती है तो उसे कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/अ.प्र./1-3, दिनांक 29.06.2013 में निहित शर्तों के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आरक्षण की पात्रता होगी, इस हेतु उन्हें दस्तावेजों के परीक्षण के समय सेवामुक्ति प्रमाण पत्र (Discharge Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (7) आवेदन कैसे करें – परिचारक लाईन (संविदा) की भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव/निर्देश छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की वेबसाइट www.cspc.co.in पर उपलब्ध है। उक्त सुझावों को ध्यान से पढ़कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेगे।
- (8) आवेदन शुल्क – अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रूपये 100/- (एक सौ रूपये मात्र) के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपी.आई. या उपलब्ध कराए गए अन्य डिजिटल माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान किया जावेगा। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
- (9) आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक 26.07.2018, समय 17:00 बजे तक है।
- (10) चयन प्रक्रिया –
- परिचारक लाईन (संविदा) के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के कक्षा दसवीं में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
 - प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के तीन गुना उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा।
 - दस्तावेजों के परीक्षण में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जावेगी। अर्थात् अपात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
 - शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व उम्मीदवार का प्रारम्भिक तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। उक्त परीक्षण में दौड़ने योग्य पाए जाने पर ही उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा।
 - शारीरिक दक्षता परीक्षा उम्मीदवार के स्वयं के जोखिम पर ली जावेगी, जिसके लिए उम्मीदवार को दस्तावेजों के परीक्षण के समय सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार को चार किलोमीटर की दौड़ तीस मिनट में पूर्ण करनी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जावेगा। चार किलोमीटर की दौड़ तीस मिनट में पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल माना जावेगा।

(vi) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की कक्षा दसवीं में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में से छत्तीसगढ़ शासन के संभागीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जावेगी।

(vii) अंक प्रतिशत की गणना दशमलव के बाद दो अंको तक की जावेगी। अंक प्रतिशत समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम वरीयता क्रम में उपर रखा जावेगा। अंक प्रतिशत एवं जन्म दिनांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उम्मीदवार की वरीयता निर्धारित की जावेगी।

(11) संविदा पद के लिए निर्वाह वेतन -

(क) परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर संविदा कर्मी को प्रतिमाह छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु समय-समय पर घोषित मासिक वेतन एवं उस मासिक वेतन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मैदानी भत्ते का भुगतान किया जावेगा। वर्तमान में प्रभावशील दर (दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018) के अनुसार दिए जाने वाले मासिक वेतन की गणना निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	जोन का नाम		
		अ	ब	स
1.	न्यूनतम मूल वेतन (रूपये)	8,320/-	8,060/-	7,800/-
2.	महंगाई भत्ता (रूपये)	300/-	300/-	300/-
3.	उप योग (रूपये)	8,620/-	8,360/-	8,100/-
4.	मैदानी भत्ता (उप योग का 5 प्रतिशत) (रूपये)	431/-	418/-	405/-
5.	योग (3+4) (रूपये)	9,051/-	8,778/-	8,505/-

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण सुविधा के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा राशि (ESI) एवं बोनस का प्रचलित दरों के आधार पर व्यय भार भी कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) कर्मचारी को देय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा राशि (जहाँ लागू हो) की कटौती कर्मचारी अंशदान के रूप में प्रचलित दरों पर की जावेगी।

(घ) परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर नियुक्त कर्मचारी को इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा आदि की पात्रता नहीं होगी। संविदा नियुक्ति के अंतर्गत नियुक्त कर्मी को राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले मानदेय के अनुरूप ही मूलवेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(12) संविदा पद पर नियुक्ति की कालावधि - परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर प्रथम बार में नियुक्ति तीन वर्ष के लिए प्रदान की जावेगी जिसका कार्य कुशलता, दक्षता एवं उपयुक्तता के आधार पर एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। नियुक्ति की अधिकतम अवधि (प्रथम नियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए) 10 वर्ष होगी।

(13) नियुक्ति के नियम एवं अन्य शर्तें -

- (i) पॉवर कंपनी को पदों की संख्या में वृद्धि/कमी किये जाने अथवा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। नियुक्ति संबंधी कोई भी वाद रायपुर न्यायाधिकरण में ही मान्य होंगे।
- (ii) परिचारक लाईन (संविदा) पद की भर्ती की चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा आवेदक की नियुक्ति के पश्चात यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि गलत एवं फर्जी है तो उसकी उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त या बर्खास्त कर दी जावेगी।
- (iii) उम्मीदवार की पदस्थापना अंबिकापुर क्षेत्र के अंतर्गत की जाएगी। पदस्थापना के उपरांत नियोजन काल में उनके अंतरक्षेत्रीय स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iv) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मियों पर छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू होंगे।
- (v) छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत नियुक्ति को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (vi) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मियों को पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
- (vii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/परफार्मेंस रिपोर्ट लिखा जावेगा ताकि उस आधार पर उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके।
- (viii) संविदा कर्मियों को एक वर्ष के कालखण्ड में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- (ix) यदि संविदा कर्मियों बिना अनुमति छुट्टी/अवकाश स्वीकृत कराये कार्य से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थित अवधि की उसके वेतन से अनुपातिक कटौती की जावेगी।
- (x) संविदा कर्मियों को राज्य में प्रभावशील श्रम कानून के अंतर्गत दुर्घटना बीमा कर्मकार क्षतिपूर्ति एवं वैयक्तिक बीमा की पात्रता होगी।
- (xi) परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर नियुक्ति अस्थाई प्रकृति की होगी जिस पर नियमितिकरण की बाध्यता नहीं होगी।
- (xii) परिचारक लाईन (संविदा) के पद पर भर्ती के लिए जिन प्रावधानों का इस विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उनके लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति), नियम 2012 यथा संशोधित, के प्रावधान लागू होंगे।
- (xiii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया, जो न्यूनतम दूरी के मार्ग का हो, पॉवर कंपनी के नियमानुसार टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।
- (xiv) ऑनलाईन आवेदन हेतु सहायता के लिए कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक दूरभाष क्रमांक 0771-2574685 एवं ई-मेल helpdesk.recruitment@cspc.co.in के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।



महाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर